

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक १५१ / संचा.-वि.स. / 2025

नवा रायपुर, दिनांक ०१/०७/2025

प्रति,

प्रबंध संचालक,

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.

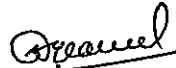
अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 949 अतारांकित द्वारा श्री दीपेश साहू, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 949 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिफांन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिफांन्ट' में) दिनांक 03.07.2025 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)।
संलग्न-उपरोक्तानुसार


सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 11/07/2025

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 18/07/2025

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : धान संग्रहण केन्द्रों/धान खरीदी केन्द्रों में धान सूखत के संबंध में नियम /निर्देश

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 949) श्रीदीपेश साहू

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) राज्य में धान संग्रहण केन्द्रों/धान खरीदी केन्द्रों में धान सूखत के संबंध में शासन के क्या नियम एवं निर्देश हैं? (ख) धान संग्रहण केन्द्रों/धान खरीदी केन्द्रों में धान उठाव नहीं होने के कारण सूखत मान्य किया जाता है या नहीं? शासन द्वारा इसके क्या मापदंड हैं? (ग) बेमेतरा जिले में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितने मिलर बारदाना, धान खरीदी में अस्वीकृत किये गये हैं? कितने मान्य किये गये हैं और उनका कितना भुगतान किया गया है? वर्षवार विस्तृत जानकारी दें?

Sent From : vidhan | Sent Date : 01/07/2025 11:26:02 |

Remark :

मार्क फेड